

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर व इजलस श्री बजरंग लाल स्वामी (आर.ए.एस.)

राजस्थान वाद संख्या - 40/2023

जीसीएमएस संख्या - 2023/130

1. काली देवी उर्फ काला देवी पत्नी स्व० श्री कल्याण सहाय, जाति गीना, निवासी ग्रा ढण्ड (हरवर), तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. डॉ० राजेन्द्र गाण्डिया पुत्र कल्याण सहाय, जाति गीना, निवासी 5/1 हीरा बाग फ़ैट सवाईशमसिंह हाईवे, जयपुर।
3. प्रेम देवी पुत्री कल्याण सहाय
4. पुष्पा उर्फ उषा पुत्री कल्याण सहाय
5. भीम सिंह पुत्र कल्याण सहाय
6. रमेश चन्द पुत्र कल्याण सहाय
समस्त जाति गीणा, निवासी ग्राम ढण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. कैलाशी पुत्री रघुनाथ प्रसाद
2. छोटूराम पुत्र रघुनाथ प्रसाद
3. जगन्नाथ पुत्र रघुनाथ प्रसाद
4. पार्वती पुत्री रघुनाथ प्रसाद
5. बद्दी पुत्र बालू (फौत)
5/1. मंगलचन्द पुत्र बद्दी
5/2. ओमप्रकाश पुत्र बद्दी
5/3. लक्ष्मीनारायण पुत्र बद्दी
समस्त जाति गीणा, निवासी ग्राम ढण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5/4. धन्नी देवी पुत्री बद्दी पत्नी छोटूराम, जाति गीणा, निवासी नोहर की ढाणी, ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5/5. कृष्णा पुत्री बद्दी पत्नी विनोद
5/6. सोनी पुत्री बद्दी पत्नी शम्भू
जाति गीणा, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील बरसी, जिला जयपुर।
6. मोहन लाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद
7. श्रवण पुत्र रघुनाथ प्रसाद
8. शांति देवी पुत्री रघुनाथ प्रसाद
9. सुजा पत्नी रघुनाथ प्रसाद
10. सुरजमल पुत्र रघुनाथ प्रसाद
समस्त जाति गीणा, निवासी ग्राम ढण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. संजू पत्नी नारूराम, जाति गीणा, निवासी पोस्ट दीपावास वाया मणेश्वर तालूका, नीमकाथाना, जिला सीकर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकद्दमा नम्बर - 40/2023

दि. 30.05.2025

यह मुकद्दमा आज वारंते इनफिसाल कर्तई रूबरू श्री बजरंग लाल स्वामी व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मुताबिक तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू0अ0/2024/629 दिनांक

Baw-
उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

10.02.2025 के द्वारा प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम ढण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित निम्न भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जाता है-

क्र०सं०	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान
1.	काली उर्फ काला देवी पत्नि कल्याण हि० 1388/3361 राजेन्द्र पुत्र कल्याण हि० 395/3361 रमेशचन्द्र पुत्र कल्याण हि० 395/3361 भीमसिंह पुत्र कल्याण हि० 395/3361 पुष्पा उर्फ उषा पुत्री कल्याण हि० 394/3361 प्रेम देवी पुत्री कल्याण हि० 394/3361 जाति मीणा सा० देह खातेदार	251/1	0.3361	बारानी 1	
	किता	01	0.3361		
2.	केलाशी पुत्री रघुनाथ प्रसाद हि० 5259/89900 छोटाराम पुत्र रघुनाथप्रसाद हि० 5259/89900 जगन्नाथप्रसाद पुत्र रघुनाथप्रसाद हि. 5259/89900 पार्वती पुत्री रघुनाथ प्रसाद हि० 5259/89900 मोहनलाल पुत्र रघुनाथप्रसाद हि. 5259/89900 श्रवणलाल पुत्र रघुनाथप्रसाद हि. 5259/89900 शांति पुत्री रघुनाथप्रसाद हि. 5259/89900 सूरजमल पुत्र रघुनाथप्रसाद हि. 5259/89900 कोयली देवी पत्नी नन्दकिशोर हि० 132/112375 लोकेश पुत्र नन्दकिशोर हि० 132/112375 हनुमान पुत्र नन्दकिशोर हि० 132/112375 मीरा देवी पुत्री नन्दकिशोर हि. 132/112375 निशा पुत्री नन्दकिशोर हि. 132/112375 मंगलचन्द पुत्र बद्री हि० 473/5394 ओमप्रकाश पुत्र बद्री हि. 473/5394 लक्ष्मीनारायण पुत्र बद्री हि. 473/5394 धन्नी देवी पुत्र बद्री हि. 473/5394 कृष्णा देवी पुत्री बद्री हि. 473/5394 सोनी देवी पुत्री बद्री हि. 473/5394 जाति मीणा सा० देह खातेदार	251/3	0.0899	बारानी 1	
	किता	01	0.0899		
3.	संजू देवी पत्नि नारुराम हि० सम्पूर्ण जाति मीणा, निवासी पोस्ट दीपावास वाया गणेश्वर तालुका, नीम का थाना, जिला सीकर, खातेदार	251/2	0.2840	बारानी 1	
	किता	01	0.2840		



नोट:- 1. मृतक खातेदार बद्री पुत्र बालू तथा मृतका सूजा पत्नि रूगनाथप्रसाद के विधिक वारिसों के नाम कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार किया गया।

2. नोट संख्या 26 से दिनांक 02.08.2019 खसरा संख्या 251 काश्तकार संजू देवी पत्नि नारुराम पर आयकर आयुक्त बेनामी निषेध सम्पत्ति एवं DCIT/BPU/JPR/2019-20/30/793 दिनांक 28.06.2019

Pen
उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

ब तहसीलदार साहब आमेर के आदेश क्रमांक भू.अ/3471-73 दिनांक 28.07.2019 की पालना में संपूर्ण देवी प्रति नारुराम हिस्सा 2/5 पर किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण नहीं करने बाबत नोट लगा हुआ है।
 3 नोट संख्या 35 से दिनांक 26.05.2023 ख0न0 261 सभी कारतकार पर मानवीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में विचारधीन प्रकरण संख्या 30/2023 दिनांक 26.04.2023 उनवान काली देवी बनाम कैलाशी तथा श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक भू.अ/06 दिनांक 05.05.2023 की पालना में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित किया जाने का नोट लगा है।

तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त नोट संख्या 01 लगायत 03 के आधार पर एवं उपरोक्त विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्दाज करे। कुरैजात रिपोर्ट निर्णय के जूज रहेंगे।
 इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

दि. 30.05.2023

Baw
 (बजराम लाल स्वामी)
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेर जिला जयपुर

मिति मुबतिय बाबत

खर्चो इस मुकदमे में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करे।
 बसना पर दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

दि. 30.05.2023



Baw-
 (बजराम लाल स्वामी)
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेर जिला जयपुर

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायलत	रुपये	पैसे
स्टाम्प अजी दावा	02	00	स्टाम्प अजी दावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अजी	02	00
स्टाम्प वजह संबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुताफरिक	00	00
मुताफरिक	00	00		00	00
	मीजान 04	00		मीजान 04	00

नोट इस खर्चो के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो।

Baw
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेर जयपुर